



**डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,
अकोला**

निम्नस्तर कृषि शिक्षण विद्याशाखा

**माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम
प्रवेश माहिती पुस्तिका**

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७

(१ वर्षे कालावधी- मराठी माध्यम)

किंमत रु. १००/- फक्त

ई-मेल : adlae@pdkv.ac.in

दूरध्वनी : 0724-2258706

वेबसाईट : pdkv.ac.in

दि. ०२/०६/२०२६ रोजी प्रकाशित.



विद्यापीठाचे संबंधीत अधिकारी

| अ.क्र. | पद | नांव | कार्यालय दुरध्वनी क्र. |
|--------|--|-----------------------------|------------------------|
| १. | कुलगुरु | डॉ. एस. एस. गडाख | (०७२४) २२५८३६५ |
| २. | संचालक (शिक्षण) | डॉ. डी. एम. पंचमाई | (०७२४) २२५८०९३ |
| ३. | अधिष्ठाता तथा सहयोगी अधिष्ठाता (निम्न कृषि शिक्षण विद्याशाखा) | डॉ. आर. एन. काटकर | (०७२४) २२५८७०६ |
| ५. | सहयोगी अधिष्ठाता (शिक्षण) | डॉ. एन. व्ही. शेडे | (०७२४) २२५८५५० |
| ७. | अधिष्ठाता, उद्यानविद्या शाखा, अकोला | डॉ. ए. एम. सोनकांबळे | (०७२४) २२५८५०८ |
| ८. | विभाग प्रमुख, पुष्पशास्त्र व प्रांगण विद्या विभाग, अकोला | श्री. एन. एस. गुप्ता | ९८८१७३११७३ |
| ९. | प्रभारी अधिकारी, माळी प्रशिक्षण केंद्र, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अकोला | डॉ. मनिषा एस. देशमुख | ८८३०४६६४९० |
| १०. | प्रभारी अधिकारी, माळी प्रशिक्षण केंद्र, कृषि महाविद्यालय, नागपूर | डॉ. सिमा ए. ठाकरे | ९७३०२५०३८४ |
| ११. | प्रभारी अधिकारी, माळी प्रशिक्षण केंद्र, प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, काटोल | डॉ. मेघा एच. डहाळे | ९५८८६७००७४ |
| १२. | प्रभारी अधिकारी, माळी प्रशिक्षण केंद्र, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपुर | डॉ. वाय. डी. चर्जन | ९९७०३४७५०१ |
| १३. | कुलसचिव | श्रीमती. प्रिति व्ही. रोडगे | (०७२४) २२५८३७२ |
| १४. | उपकुलसचिव (वि.वि.) | डॉ. एस. के. ठाकरे | (०७२४) २२५९२४८ |

प्रकाशक :
कुलसचिव
डॉ. पं. दे. कृ. वि.
कृषिनगर, अकोला-४४४१०४.



| | |
|----|---|
| ब) | उमेदवाराचे वय दिनांक १जुलै २०२६ रोजी १४ वर्षांपेक्षा कमी व ४० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. |
| क) | निवड झाल्यावर प्रवेश घेतांना प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्याला ठराविक नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र (प्रमाणित वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून) एका महिन्याचे आत द्यावे लागेल. ते न दिल्यास अथवा दिलेले प्रमाणपत्र असमाधनकारक असल्यास प्रवेश रद्द केल्या जाईल |
| ड) | उमेदवाराची बाग कामाचे श्रम प्रशिक्षण करण्याची तयारी असावी. |
| ई) | उमेदवार ज्या राजस्व विभागाचा रहिवासी असेल त्यानुसार त्याने संबंधीत केंद्राकडे अर्ज सादर करावा व त्यानुसारच त्यांना प्रवेश देण्यात येईल. |
| ४. | उमेदवाराची निवड : |
| अ) | उमेदवाराची निवड गुणवत्तेनुसार व वर्गवारीनुसार करण्यात येईल. गुणवत्तेचे मापन खालील पध्दतीनुसार केले जाईल. |
| १. | ९ वी इयत्तेच्या गुणपत्रकानुसार/प्रगतीपुस्तकावरील श्रेणीचे गुणांत रुपांतर केल्यानंतर शेकडा मिळालेले गुण (टक्के) |
| २. | शेतकरी (७/१२ खसरा उतारा)/शेतमजूर यांचा पाल्य असल्या संबंधीचे प्रमाणपत्र (सन २०२५-२६ किंवा २०२६-२७ या वर्षाचा) : १२ टक्के गुण |
| | (वरील अ-१ अ-२ यांची बेरीज गुणवत्ता टक्केवारी म्हणून समजण्यात येईल) |
| ब) | प्रवेश मिळण्याकरीता अर्ज करणाऱ्यास प्रत्यक्ष मुलाखतीस हजर राहावे लागणार नाही. |
| क) | उमेदवाराची निवड विहित केलेल्या राखीव जागा लक्षात घेउन गुणवत्तेवर ठरविलेल्या नियमानुसार केली जाईल. |
| ड) | तात्पुरती गुणवत्ता यादी व रद्द अर्जाची यादी संबंधीत माळी प्रशिक्षण केंद्राच्या सुचना फलकावर दि. ०३.०७.२०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता लावण्यात येईल. |
| ई) | तात्पुरती निवड यादी संबंधीत माळी प्रशिक्षण केंद्राच्या सुचना फलकावर दि. १३.०७.२०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता लावण्यात येईल. या यादी सोबतच ज्यांची नावे प्रतीक्षा यादीत आहेत, त्यांची यादी लावण्यात येईल. कोणत्याही उमेदवारास पोस्टाद्वारे सुचना देण्यात येणार नाही, याची नोंद घ्यावी. अर्ज करणा-या उमेदवाराने दि. १३.०७.२०२६ रोजी संबंधीत माळी प्रशिक्षण केंद्रावर हजर राहून आपली निवड झाली किंवा नाही ते यादीत पहावे. |
| ई) | ज्या विद्यार्थ्यांची नावे निवड यादीत आहेत, त्यांना आवश्यक ती फी व अनामत रक्कम संबंधीत माळी प्रशिक्षणाच्या कार्यालयात दि. १४ ते १५.०७.२०२६ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत भरावी लागेल. या कालावधीत निवड झालेल्या यादीतील जे उमेदवार पैसे भरणार नाहीत, त्यांचा प्रवेश रद्द समजण्यात येईल. अशा प्रकारच्या ज्या जागा रिकाम्या राहतील, त्या जांगासाठी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना प्रवेश गुणवत्तेनुसार व वर्गवारीनुसार देण्यात येईल. |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|----------|----|----------------|----|---------|----|----------------------------------|----|---------|----|---|----|-----------|----|---|----|-----------|----|---|----|---------|----|-----------------|----|----------|----|---|----|----------|----|--------------------------------|----|----------|
| फ) | प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना प्रवेश हवा असेल तर दि. १७.०७.२०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून दुपारी २.०० वाजेपर्यंत संबंधीत माळी प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यालयात स्व:खर्चाने हजर राहून व मुळ प्रमाणपत्र दाखवून प्रतिक्षा यादीवर सही करणे आवश्यक आहे. प्रतिक्षा यादीतील निवड झालेल्या उमेदवाराची दुसरी निवड यादी संबंधीत माळी प्रशिक्षण केंद्राचे सुचना फलकावर दि. १७.०७.२०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत लावण्यात येईल. प्रतिक्षा यादीतील निवड झालेल्या उमेदवारास आवश्यक फी, अनामत रक्कम संबंधीत माळी प्रशिक्षण कार्यालयात दि. १७.०७.२०२६ रोजी सांयकाळी ५.०० वाजेपर्यंत भरावी लागेल. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ग) | वरील अभ्यासक्रमाविषयी इतर माहिती माळी प्रशिक्षण केंद्रातून मिळू शकेल. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५. | प्रवेशाबाबत राखीव जागांचा तपशिल : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>उमेदवाराची निवड विहित केलेल्या राखीव जागा लक्षात घेऊन गुणवत्ता, वर्गवारी व शासन निर्णय क्र. टिईएएम/१५९४/(६३२३)/ तांत्रिक शिक्षण-१ दिनांक ३ जून १९९४ तसेच शासन निर्णय क्र. CBC/1094/PK/86/MAVAK9 दिनांक १६.६.९४ अन्वये ठरविलेल्या नियमानुसार केली जाईल, तसेच शासन क्र. AGU-2195/CR-73/19-A दिनांक ३.१.२००१ नुसार निम्न कृषि शिक्षणांतर्गत येणा-या विविध अभ्यासक्रमाच्या (पदविपूर्व) प्रवेशासाठी खाली दर्शविलेल्या प्रत्येक प्रवर्गात ३० टक्के जागा विद्यार्थीनीसाठी आरक्षित असून त्यावर गुणानुक्रमे प्रवेश देण्यात येईल.</p> <p>गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश प्रक्रीया केल्यानंतर जर कोणत्याही मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागापैकी काही जागा रिक्त राहिल्यास, त्या जागेवर शासन निर्णय क्र. TEM-3397/12926/(9086) TE-I दिनांक ११.७.१९९७ नुसार एकूण प्रवेश क्षमतेच्या जास्तीत जास्त २ टक्के पर्यंत विशेष मागासवर्गीय (SBC) उमेदवारांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच रिक्त जागांवर विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल २ टक्के जागांवर प्रवेश दिल्यानंतर जर काही जागा रिक्त राहिल्या तर त्या जागा वरील शासन निर्णयानुसार इतर सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार सरमिसळ करून भरण्यात येतील.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | संवैधानिक आरक्षण : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><tr><td>१)</td><td>अनुसुचित जाती (बौध्द धर्म स्विकारलेल्या व्यक्तिसह)</td><td>:—</td><td>१३ टक्के</td></tr><tr><td>२)</td><td>अनुसुचित जमाती</td><td>:—</td><td>७ टक्के</td></tr><tr><td>३)</td><td>विमुक्त जाती (अ) (१४ तत्सम जाती)</td><td>:—</td><td>३ टक्के</td></tr><tr><td>४)</td><td>भटक्या जाती (ब) (जाने. १९९० पूर्वीच्या २८ व तत्सम जाती)</td><td>:—</td><td>२.५ टक्के</td></tr><tr><td>५)</td><td>भटक्या जमाती (क) (धनगर व व तत्सम जमाती)</td><td>:—</td><td>३.५ टक्के</td></tr><tr><td>६)</td><td>भटक्या जमाती (ड) (बंजारी व व तत्सम जमाती)</td><td>:—</td><td>२ टक्के</td></tr><tr><td>७)</td><td>इतर मागासवर्गीय</td><td>:—</td><td>१९ टक्के</td></tr><tr><td>८)</td><td>सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी)*</td><td>:—</td><td>१० टक्के</td></tr><tr><td>९)</td><td>आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्युएस)</td><td>:—</td><td>१० टक्के</td></tr></table> | १) | अनुसुचित जाती (बौध्द धर्म स्विकारलेल्या व्यक्तिसह) | :— | १३ टक्के | २) | अनुसुचित जमाती | :— | ७ टक्के | ३) | विमुक्त जाती (अ) (१४ तत्सम जाती) | :— | ३ टक्के | ४) | भटक्या जाती (ब) (जाने. १९९० पूर्वीच्या २८ व तत्सम जाती) | :— | २.५ टक्के | ५) | भटक्या जमाती (क) (धनगर व व तत्सम जमाती) | :— | ३.५ टक्के | ६) | भटक्या जमाती (ड) (बंजारी व व तत्सम जमाती) | :— | २ टक्के | ७) | इतर मागासवर्गीय | :— | १९ टक्के | ८) | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी)* | :— | १० टक्के | ९) | आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्युएस) | :— | १० टक्के |
| १) | अनुसुचित जाती (बौध्द धर्म स्विकारलेल्या व्यक्तिसह) | :— | १३ टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २) | अनुसुचित जमाती | :— | ७ टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३) | विमुक्त जाती (अ) (१४ तत्सम जाती) | :— | ३ टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४) | भटक्या जाती (ब) (जाने. १९९० पूर्वीच्या २८ व तत्सम जाती) | :— | २.५ टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५) | भटक्या जमाती (क) (धनगर व व तत्सम जमाती) | :— | ३.५ टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६) | भटक्या जमाती (ड) (बंजारी व व तत्सम जमाती) | :— | २ टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७) | इतर मागासवर्गीय | :— | १९ टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८) | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी)* | :— | १० टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९) | आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्युएस) | :— | १० टक्के | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * वरील आरक्षणामध्ये प्रवेश प्रक्रीयेच्या वेळेस प्रचलित शासन निर्णयानुसार बदल संभावतो. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--|---|
| इतर आरक्षण : | |
| १) शेतकरी/शेतमजूरांची मुले | :— ६ टक्के |
| २) स्वातंत्र सैनिकांची मुले | :— २ टक्के |
| ३) प्रकल्पग्रस्तांची मुले | :— ४ टक्के |
| ४) आजी व माजी सैनिकांची मुले | :— २ टक्के |
| ५) अपंग/दिव्यांग | :— ५ टक्के |
| ६) महिला | :— ३० टक्के |
| ७) अनाथ | :— १ टक्के |
| * महाराष्ट्र शासन, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण 1514/प्र.अ.100/7 अे दि.08 जुलै, 2019 अन्वये अ.क्र.11,12 व 13 मध्ये नमुद केलेले आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे. | |
| अ) | इतर आरक्षण वरील (१ ते ७) मधील वर्गवारीच्या उमेदवाराची टक्केवारी ही गुणवत्ता यादीतील उमेदवारास जमेस धरून राहिल. |
| ब) | शासन निर्णय क्र.बीसीसी-१०९१/२५५१/(क) १६ ब, दिनांक २७ मार्च १९९१ अन्वये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व विमुक्त भटक्या जाती (अ. क्र. १ ते ६) प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध नसल्यास ही पदे २ टक्के विशेष मागासवर्गीय जातीमधून भरल्या जाईल. त्यानंतरची रिक्त पदे अदलाबदलीने भरल्या जातील. |
| क) | जर उमेदवार एका पेक्षा जास्त राखीव प्रवर्गात हक्क सांगत असेल, तर त्याची राखीव जागेची वर्गवारी वरील क्रमावर (Sequence) विचारात घेण्यात येईल. |
| ड) | आरक्षणाबाबतचे वरील नियम, महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार केलेले बदल व सुधारणा विचारात घेउन लागू करण्यात येतील. |
| इ) | प्रत्येक उमेदवाराच्या अर्जाचा सर्वप्रथम विचार त्यांच्या गुणवत्तेवर (On Merit) केल्या जाईल. |
| ६. | फी व अनामत रक्कम : |
| | निवड झालेल्या उमेदवारांना खालील प्रमाणे किंवा वेळोवेळी विद्यापीठ ठरविले त्यानुसार अनामत रक्कम व इतर शुल्क भरावे लागेल. अ) शैक्षणिक शुल्क १०००/- वसतीगृह सुविधा उपलब्ध असल्यास ब) सफाई शुल्क २००/- रुपये क) पाणी पट्टी २००/- ड) विजेचा खर्च ६००/- रुपये |
| ७. | विद्यावेतन : |
| | सर्व माळी प्रशिक्षण केंद्रामध्ये रुपये २५०० प्रति प्रशिक्षणार्थी, प्रती महिना विद्यावेतन (Stipend) देण्यात येईल. प्रशिक्षणार्थीची उपस्थिती दर महा ८० % पेक्षा जास्त असेल तेव्हाच विद्यावेतन देय राहिल. |
| | इतर माहिती : |



| | |
|----|--|
| अ) | विद्यापीठाने केलेले सर्व सामान्य नियम विद्यार्थ्यांस बंधनकारक राहतील. |
| ब) | निर्धारित गणवेश विद्यार्थ्यांस (नेव्ही निळा पॅन्ट आणि आकाशी निळा शर्ट) आणि विद्यार्थिनींस (आकाशी निळ्या रंगाची साडी/ब्लाऊज/कुर्ता/सलवार/ओढणी) वापरावा लागेल. |
| क) | खोटे प्रमाणपत्र अथवा माहिती देउन प्रवेश प्राप्त केला आहे, असे निदर्शनास आल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येईल. |
| ड) | जेवणाची, राहण्याची सोय व त्याचा खर्च विद्यार्थ्यांस स्वतः करावा लागेल. |
| ई) | निम्न कृषि शिक्षण अंतर्गत विविध अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सर्व शाळांच्या सोयीकरीत दिवाळी सणानिमित्त आठ दिवसाची सुट्टी राहिल. ही सुट्टी दिवाळी (लक्ष्मीपूजन) चे दोन दिवस अगोदरपासून सुरु होईल. |
| फ) | प्रशिक्षणा दरम्यान ८० % उपस्थिती असल्यास परिक्षेकरीता पात्र समजल्या जाईल. |
| ग) | कुठल्याही परिस्थितीत दुय्यम (Duplicate) दाखल्यावरून प्रवेश दिल्या जाणार नाही, काही अपवादात्मक परिस्थितीत डुप्लीकेट प्रत विचारात घेतली जाईल तथापि, त्या सोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. |
| | १. शाळा सोडल्याचा दाखला हरवला असल्यास प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. |
| | २. मुळ दाखला हरवल्या बाबतची विभागीय वर्तमान पत्रातून प्रकाशित केलेली जाहीर प्रगटनाची प्रत सादर करावी. |
| | ३. मुळ शाळा सोडल्याचा दाखला हरविल्या बाबतची पोलीसात नोंदविलेल्या तक्रारीची प्रत सादर करावी. |
| म) | विद्यार्थी प्रशिक्षण अर्धवट सोडून गेल्यास अथवा जे विद्यार्थी वर्गातील उपस्थितीच्या कमतरतेमुळे (८० % पेक्षा कमी असल्यास) परिक्षेस बसण्यासापासून वंचित राहतील त्यांचेकडून त्यांना अदा केलेले विद्यावेतन वसूल करण्यात येईल. |



माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम प्रवेश वेळापत्रक

वर्ष: २०२६-२७

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| १. | प्रवेश आवेदन अर्ज व माहितीपत्रक विक्री व अर्ज स्विकारण्याची तारीख | ०२.०६.२०२६ ते ०१.०७.२०२६ |
| २. | प्रवेशाचे आवेदन अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख | ०१.०७.२०२६ |
| ३. | तात्पुरती गुणवत्ता यादी व रद्द अर्जाची यादी प्रसिध्द करणे. | ०३.०७.२०२६ |
| ४. | तात्पुरती गुणवत्ता यादी व रद्द अर्जाचे बाबत तक्रार अर्ज स्विकारणे. | ०४ ते ०७.०७.२०२६ |
| ५. | तक्रार निवारण समितीची सभा तात्पुरती गुणवत्ता यादी, निवड व प्रतिका यादी मंजूर करणे. | ०९.०७.२०२६ |
| ६. | तात्पुरती निवड यादी व प्रतिका यादी प्रसिध्द करणे | १३.०७.२०२६ |
| ७. | तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांना प्रवेश देणे | १४.०७.२०२६ ते १५.०७.२०२६ |
| ८. | वरील यादीतील रिक्त जागी प्रतिका यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे | १७.०७.२०२६ |
| ९. | शैक्षणिक सत्राची सुरुवात | २०.०७.२०२६ |
| १०. | प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी सोडून गेल्याने रिक्त झालेल्या जागी यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे | २२.०७.२०२६ |
| ११. | सदर जाहीरातीद्वारे प्राप्त अर्जाच्या कमतरतेमुळे काही जागा रिक्त असल्यास प्रभारी अधिकारी, माळी प्रशिक्षण केंद्र संबंधीत राजस्व विभागाच्या पात्र उमेदवारांचे परस्पर अर्ज स्विकारून कुठल्याही आरक्षणाचे बंधन न ठेवता प्रवेश देतील | २७.०७.२०२६ ते २८.०७.२०२६ |